दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 5-09-2024

विषय सूची

भ्रष्टाचार की शिकायतों पर CVC की रिपोर्ट

नवीनतम ILO अध्ययन ने AI को श्रम आय में गिरावट से संबद्ध किया

भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया

ब्लैक कोट सिंड्रोम

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय परीक्षण गृह

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)

केंद्र ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाए

त्रिपुरा के विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौता

स्मार्ट सिटी मिशन

ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए MNRE छूट

OpenAI का प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी

www.nextias.com

भ्रष्टाचार की शिकायतों पर CVC की रिपोर्ट

संदर्भ

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने 2023 में विभिन्न सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों का प्रकटीकरण करते हुए रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख विशेषताएँ

- प्राप्त कुल भ्रष्टाचार शिकायतों में से सबसे अधिक शिकायतें **रेलवे कर्मचारियों** के विरुद्ध थीं, इसके बाद **दिल्ली के स्थानीय निकायों** और **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों** के विरुद्ध शिकायतें थीं।
    - रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त कुल शिकायतों में से 9,881 का समाधान कर दिया गया तथा 566 अभी भी लंबित हैं।

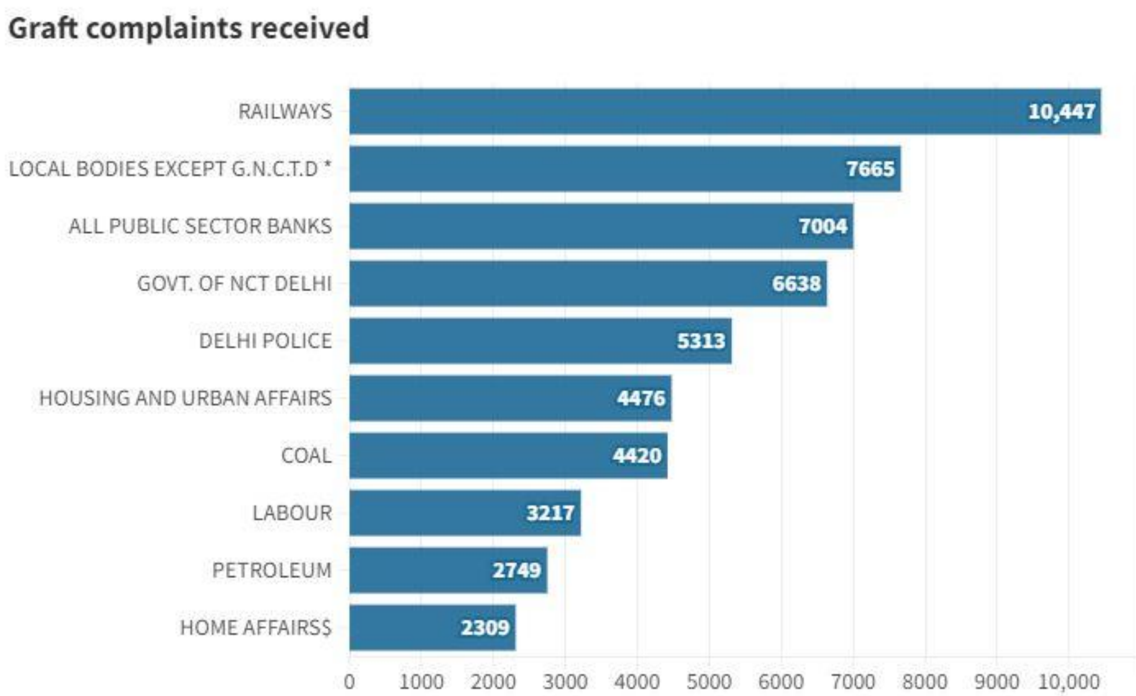

- वर्ष 2023 में सभी श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 74,203 भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 66,373 का समाधान कर दिया गया तथा 7,830 लंबित हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

- इसकी स्थापना भारत सरकार (**गृह मंत्रालय**) द्वारा **1964 में संथानम समिति** की सिफारिश के प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में **सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही** को बढ़ावा देना है।
- **अधिकार:** CVC को विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उचित कामकाज की देखरेख और सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
    - यह लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की जाँच करता है।

- **सदस्यों की नियुक्ति:** केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
    - **प्रधानमंत्री** समिति के अध्यक्ष होते है।
    - **गृह मंत्री** समिति के सदस्य होते है।
    - **लोकसभा में विपक्ष के नेता** समिति के सदस्य होते है।
- **स्वायत्तता:** अपनी जाँच और सिफारिशों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए CVC सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- **कार्यालय की अवधि:** केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से **चार** वर्ष की अवधि तक या **65 वर्ष** की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
- **सदस्यों को पदच्युत करना :** केवल राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार है:
    - यदि **दिवालिया** प्रमाणित हो गया हो।
    - यदि उसे किसी ऐसे **अपराध के लिए दोषी** ठहराया गया हो, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में **नैतिक अक्षमता** शामिल है।
    - यदि वह किसी **लाभ के पद** पर हो।
    - यदि वह **मानसिक या शारीरिक दुर्बलता** के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

भ्रष्टाचार

- भ्रष्टाचार को रिश्वतखोरी या स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति या व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक पद या शक्ति का दुरुपयोग करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए **भ्रष्टाचार बोध सूचकांक** में भारत 180 देशों में से **93वें स्थान** पर है।
    - यह सूचकांक, जो विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तर के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है, 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहाँ 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 सबसे कम भ्रष्ट है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत सरकार की पहल

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988):** इस अधिनियम का उद्देश्य रिश्वत लेने या देने के कृत्य को अपराध बनाकर **सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना** है।
    - भ्रष्टाचार की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) (2005):** यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना माँगने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे सरकारी कामकाज में **पारदर्शिता और जवाबदेही** को बढ़ावा मिलता है।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाना और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करना है।

- **ई-गवर्नेंस:**सरकारी सेवाओं (जैसे **पासपोर्ट आवेदन, आयकर रिटर्न**) के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन से नौकरशाही की लालफीताशाही कम हो जाती है और भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो जाती है।
- **मुखबिर (व्हिसलब्लोअर्स) संरक्षण: व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम (2014)** उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भ्रष्टाचार और गलत कार्यों को प्रकट करते हैं।
- **सरकारी ई-बाज़ार (GeM):** इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद को सक्षम बनाकर सार्वजनिक खरीद को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।
- **भ्रष्टाचार विरोधी इकाइयाँ:** विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए अपने स्वयं के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सतर्कता आयोग स्थापित किए हैं।

Source: TH

नवीनतम ILO अध्ययन ने AI को श्रम आय में गिरावट से संबद्ध किया

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने **विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य: सितंबर 2024 अपडेट (World Employment and Social Outlook: September 2024 Update)**जारी किया है।

प्रमुख निष्कर्ष

- ILO ने पिछले दो दशकों में 36 देशों में तकनीकी नवाचारों के प्रभाव का विश्लेषण किया।
- इसने पाया कि इन नवाचारों ने **श्रम उत्पादकता और उत्पादन** में लगातार वृद्धि की, लेकिन वे श्रम आय के भागीदारी को भी कम कर सकते हैं।
- वैश्विक श्रम आय भागीदारी, जो श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल आय के हिस्से को दर्शाता है, 2019 से 2022 तक 0.6 % अंक कम हो गया और तब से स्थिर बना हुआ है।
  - कोविड-19 महामारी इस गिरावट का एक प्रमुख कारण था, जिसमें श्रम आय भागीदारी में लगभग 40% की कमी 2020 से 2022 के महामारी के वर्षों के दौरान हुई।
- संकट ने मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा दिया है, विशेष रूप से पूँजीगत आय सबसे धनी लोगों के बीच केंद्रित हो रही है, जिससे **सतत विकास लक्ष्य 10** की दिशा में प्रगति कमजोर हो रही है, जिसका उद्देश्य देशों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना है।

AI क्या है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है, जो ऐसी स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है, जो ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को मॉडल करने या उनमें सुधार करने की अनुमति देती है।

- और स्व-चालित कारों के विकास से लेकर **ChatGPT तथा Google के बार्ड** जैसे जनरेटिव AI टूल के प्रसार तक, AI रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भाग बनता जा रहा है - और ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक उद्योग निवेश कर रहा है।

AI के लाभ

- **विस्तार-उन्मुख कार्यों में सक्षम:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता **स्तन कैंसर और मेलेनोमा** सहित कुछ विशेष प्रकार के कैंसरों के उपचार में सक्षम साबित हुई है।
- **व्यापक आँकड़ों से संबंधित कार्यों के लिए कम समय:** बड़े डेटा सेटों के विश्लेषण में लगने वाले समय को कम करने के लिए बैंकिंग और प्रतिभूति, फार्मा और बीमा सहित डेटा-भारी उद्योगों में AI का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- **सुसंगत परिणाम प्रदान करता है:** सर्वोत्तम AI अनुवाद उपकरण उच्च स्तर की सुसंगतता प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि छोटे व्यवसायों को भी ग्राहकों तक उनकी मूल भाषा में पहुँचने की क्षमता प्रदान करते हैं।
- **ग्राहक संतुष्टि में सुधार कर सकते हैं:** AI व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए सामग्री, संदेश, विज्ञापन, सिफारिशें और वेबसाइट को वैयक्तिकृत कर सकता है।
    - AI प्रोग्राम को सोने या ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं होती, वे 24/7 सेवा प्रदान करते हैं।

AI के नकारात्मक पक्ष

- महँगा।
- इसके लिए **गहन तकनीकी विशेषज्ञता** की आवश्यकता होती है।
- AI उपकरण बनाने के लिए **योग्य श्रमिकों** की सीमित आपूर्ति।
- यह अपने प्रशिक्षण डेटा के **पूर्वाग्रहों** को व्यापक स्तर पर प्रतिबिंबित करता है।
- एक कार्य से दूसरे कार्य को **सामान्यीकृत करने की क्षमता का अभाव**।
- मानवीय रोजगार को समाप्त करता है, जिससे **बेरोज़गारी दर** में वृद्धि होती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का **अनैतिक उपयोग**।

AI का नैतिक उपयोग

- यद्यपि AI उपकरण व्यवसायों के लिए कई प्रकार की नई कार्यक्षमताएँ प्रस्तुत करते हैं, AI का उपयोग नैतिक प्रश्न भी उठाता है, क्योंकि अच्छा हो या बुरा, एक AI प्रणाली उसी चीज को सुदृढ़ करेगी जो उसने पहले से सीखी है।
- यह समस्याजनक हो सकता है, क्योंकि **मशीन लर्निंग एल्गोरिदम**, जो कि अनेक सबसे उन्नत AI उपकरणों का आधार है, केवल उतना ही स्मार्ट होता है, जितना डेटा उसे प्रशिक्षण में प्रदान किया जाता है।
    - चूँकि AI प्रोग्राम को प्रशिक्षित करने के लिए किस डेटा का उपयोग किया जाएगा, इसका चयन मनुष्य करता है, इसलिए मशीन लर्निंग **पूर्वाग्रह** की संभावना अंतर्निहित है और इस पर एकाग्रता से ध्यान रखा जाना चाहिए।

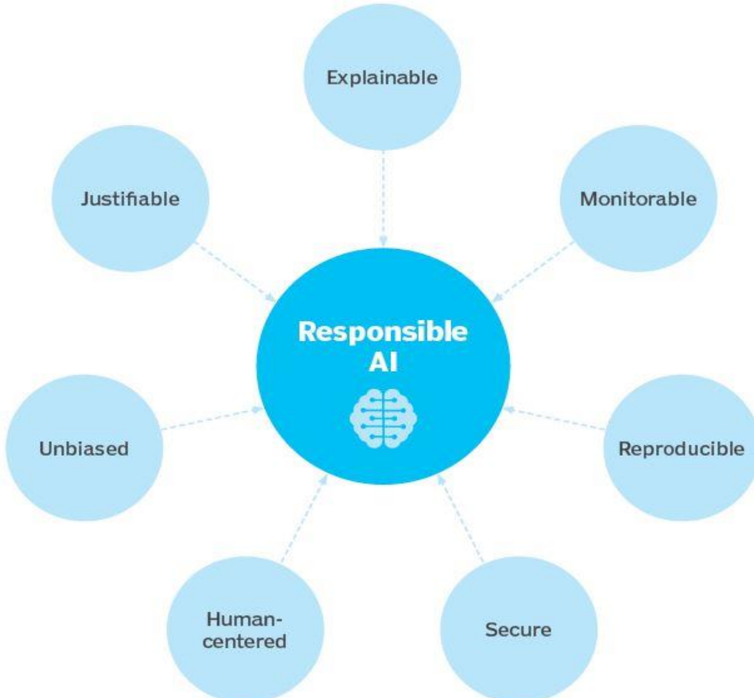

- **AI की नैतिक चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:**अनुचित रूप से प्रशिक्षित एल्गोरिदम और **मानवीय पूर्वाग्रह** के कारण पूर्वाग्रह; **डीप फेक** और **फ़िशिंग** के कारण दुरुपयोग; AI मानहानि और कॉपीराइट मुद्दों सहित विधिक चिंताएँ ; नौकरियों का उन्मूलन; और डेटा गोपनीयता की चिंताएँ, विशेष रूप से बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी क्षेत्रों में।

आगे की राह

- देशों को श्रम आय भागीदारी में गिरावट के जोखिम का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
- ऐसी नीतियाँ जो आर्थिक लाभों के समान वितरण को बढ़ावा देती हैं, जिसमें संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी और प्रभावी श्रम प्रशासन शामिल हैं, ताकि समावेशी विकास प्राप्त किया जा सके और सभी के लिए सतत विकास का मार्ग बनाया जा सके।

Source: TH

भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया

सुर्ख़ियों में

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया।

प्रमुख समझौते

- **डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ:** इसमें **साइबर सुरक्षा, 5G, सुपर-कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और AI** सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है, तथा श्रमिकों के कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र:** इसमें सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकास और प्रतिभा संवर्धन में सहयोग शामिल है।
  - इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में **सिंगापुर** की कंपनियों द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाना है।
- **स्वास्थ्य सहयोग:** यह स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स में संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।
  - इसका उद्देश्य सिंगापुर में भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों को बढ़ावा देना भी है।
- **कौशल विकास:** इसका लक्ष्य शैक्षिक सहयोग और तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा चल रही कौशल विकास पहलों को बढ़ावा देना है।

भारत-सिंगापुर संबंध

- **ऐतिहासिक**: एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय से मजबूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध।
  - आधुनिक संबंध 1819 में **सर स्टैमफोर्ड रैफल्स** द्वारा स्थापित व्यापारिक स्टेशन से जुड़े।
  - भारत ने **1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता** के तुरंत बाद उसे मान्यता दे दी थी।
- **सामरिक:** 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत-सिंगापुर संबंधों को सामरिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाया गया।
- **उच्च स्तरीय आदान-प्रदान:** 2018 और 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएँ महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगी, जिनमें प्रमुख कार्यक्रमों में मुख्य भाषण भी शामिल हैं।
  - सिंगापुर के प्रधानमंत्री **ली सीन लूंग** की भारत यात्रा में गणतंत्र दिवस समारोह और जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन शामिल था।
- **भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR):** वर्ष 2022 में उद्घाटन **ISMR डिजिटल कनेक्टिविटी**, **फिनटेक, हरित अर्थव्यवस्था** और अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।
  - वर्ष 2024 में द्वितीय ISMR में उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी जैसे नए स्तंभ जोड़े गए।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रमुख स्रोत है, जो बाहरी वाणिज्यिक उधारी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।
  - दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2004-05 में 6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में **35.6 बिलियन अमरीकी डॉलर** हो गया।
  - सिंगापुर, भारत का **छठा सबसे बड़ा** व्यापार भागीदार है, जो भारत के कुल व्यापार का **3.2%** हिस्सा है। वित्त वर्ष 2023-24 में, सिंगापुर से भारत का आयात 21.2 बिलियन अमरीकी डॉलर

(पिछले वर्ष की तुलना में 10.2% की कमी) था, जबकि सिंगापुर को निर्यात 14.4 बिलियन अमरीकी डॉलर (पिछले वर्ष की तुलना में 20.2% की वृद्धि) तक पहुँच गया।

- **फिनटेक:** पहलों में **UPI-PayNow** लिंकेज, रुपे कार्ड स्वीकृति और अन्य सीमा-पार फिनटेक विकास शामिल हैं।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग:** इसरो ने कई सिंगापुरी उपग्रह प्रक्षेपित किये हैं।
    - डिजिटल स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में सहयोगात्मक प्रयास।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** प्रदर्शन कला, रंगमंच और अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में नियमित आदान-प्रदान।
    - सिंगापुर में भारतीय कला रूपों का सक्रिय प्रचार-प्रसार।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** सिंगापुर **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** और **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन** जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों में शामिल हो गया है।
    - दोनों देश **IORA, NAM और राष्ट्रमंडल** जैसे बहुपक्षीय समूहों का हिस्सा हैं।
- **भारतीय समुदाय:** सिंगापुर की स्थानिक जनसंख्या में भारतीय लगभग 9.1% तथा विदेशी निवासियों में 21% हैं।
    - **IIT और IIM** के पूर्व छात्रों की उच्च सघनता के साथ महत्त्वपूर्ण भारतीय प्रवासी।

महत्त्व

- आसियान के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हुए हैं, जिसमें सिंगापुर पर विशेष बल दिया गया है, जो इस क्षेत्र के सबसे गतिशील देशों में से एक है।
- भारत-सिंगापुर संबंध आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है, जिसमें विविधतापूर्ण और परिपक्व सहयोग है जो आगे के विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।
- भारत की **"लुक ईस्ट"** और **"एक्ट ईस्ट"** नीतियों में सिंगापुर की केंद्रीय भूमिका है, विशेष रूप से **सुरक्षा, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी और स्थिरता** के मामले में।
- भारत-सिंगापुर साझेदारी हमें आर्थिक सहयोग बढ़ाने, आपसी विकास को बढ़ावा देने और भविष्य की चुनौतियों से मिलकर निपटने में सक्षम बनाएगी।

भविष्य का दृष्टिकोण

- भारत और सिंगापुर के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का यह सही समय है, जो वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय वास्तविकताओं को दर्शाता है।
- भारत-सिंगापुर साझेदारी आर्थिक सहयोग, आपसी विकास को बढ़ाने और भविष्य की चुनौतियों का मिलकर समाधान करने के लिए तैयार है।
- **सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी** जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने और कनेक्टिविटी एवं ऊर्जा चुनौतियों का मिलकर समाधान करने की आवश्यकता है।
- तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के कारण नए कौशल की आवश्यकता है। भारत और सिंगापुर संयुक्त कौशल विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और क्रियान्वयन में सहयोग कर सकते हैं।

Source:IE

ब्लैक कोट सिंड्रोम

संदर्भ

- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के अपने संबोधन में अदालतों में लंबित मामलों की चिरकालिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 'ब्लैक कोट सिंड्रोम' शब्द का प्रयोग किया।
  - उन्होंने इसकी तुलना अस्पतालों में मरीजों को होने वाले **'व्हाइट कोट सिंड्रोम'** से की।

परिचय

- मामलों के निर्णय में **"स्थगन की संस्कृति"** पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गाँवों के गरीब लोग अभी भी न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उनके जीवन को और भी कठिन बना देगा।
- राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में।

भारत की न्यायिक प्रणाली में चुनौतियाँ

- **लंबित मामले:** अक्टूबर 2023 तक, **'न्यायपालिका की स्थिति'** रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों में पाँच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
  - हालाँकि, इनसे निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में केवल 20,580 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं।
- **आधारभूत संरचना:** कई न्यायालयों में बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी का अभाव है, जिससे उनकी कार्यकुशलता में बाधा आ सकती है।
  - **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड** के अनुसार, सितंबर 2023 तक 19.7% जिला न्यायालयों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं थे।
- **न्यायिक रिक्तियाँ:** अक्टूबर 2023 तक, देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1,114 पदों के मुकाबले 347 पद रिक्त हैं।
  - इसी प्रकार, जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 25,081 पदों में से 5,300 जिला न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं।
- **समावेशिता:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में **केवल तीन महिला** न्यायाधीश (9.3%) हैं।
  - उच्च न्यायालयों में केवल **103 महिला न्यायाधीश** (13.42%) हैं।
  - हालाँकि, जिला न्यायपालिका में 36.33% महिला न्यायाधीशों की संख्या के साथ उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम

- **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाना;**
  - **इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (e-SCR) परियोजना** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराने की एक पहल है।

- **वर्चुअल कोर्ट सिस्टम:** नियमित न्यायालयीय कार्यवाही वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली की जा रही है।
- **ई-कोर्ट्स पोर्टल:** यह वादियों, अधिवक्ताओं, सरकारी एजेंसियों, पुलिस और आम नागरिकों जैसे सभी हितधारकों के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
- **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG):** राष्ट्रीय, राज्य, जिला और व्यक्तिगत न्यायालय स्तर पर लंबित मामलों के आँकड़े अब आम जनता, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यापक स्तर पर समाज के लिए सुलभ हो गए हैं।

- **न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन (2011):** इसे प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करके पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR):** समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए **लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय, ऑनलाइन विवाद समाधान** आदि का उपयोग किया जाता है।
- ***वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015*** में वाणिज्यिक विवादों के लिए **पूर्व-संस्था मध्यस्थता और समाधान** को अनिवार्य बनाया गया है।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट:** न्याय प्रदान करने में तेजी लाने और जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं।

आगे की राह

- **कार्यभार और क्षमता:** भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों को अपनी वर्तमान क्षमता 71% से अधिक कार्य करना होगा, ताकि नए मामलों के आगमन के साथ मामलों के निपटान की दर को बराबर किया जा सके।
- **न्यायिक रिक्तियाँ :** जिला न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियाँ 28% हैं।
    - रिक्तियों को भरने तथा भर्तियों का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के समाधान के रूप में न्यायिक भर्ती कैलेंडर को मानकीकृत करने का सुझाव दिया गया है।
- **न्यायिक भर्ती का राष्ट्रीय एकीकरण:**मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक भर्ती के राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।
    - जिला न्यायालयों में न्यायिक भर्ती अब क्षेत्रवाद या राज्य-केंद्रित चयन प्रक्रियाओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए।
- **जिला स्तरीय मामला प्रबंधन समितियाँ :** इन समितियों की स्थापना, लक्षित मामलों की पहचान करने, अभिलेखों का पुनर्निर्माण करने तथा जिला स्तर पर मामलों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए की जानी चाहिए।
- मुकदमे-पूर्व विवाद समाधान से लंबित मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है।
    - हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लोक अदालत में लगभग 1,000 मामलों का 5 कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया।
- **मलिमथ समिति, 2003** ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए अवकाश की अवधि को 21 दिन कम किया जाना चाहिए।

- जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों के बीच कथित अंतर को संबोधित करने की आवश्यकता है। इस अंतर को औपनिवेशिक अधीनता के अवशेष के रूप में देखा जाता है और इसे अधिक **एकीकृत न्यायिक प्रणाली** बनाने के लिए हल किया जाना चाहिए।

Source: TH

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)

संदर्भ

- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) की योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसे ग्रेट निकोबार में एक विशाल बुनियादी ढाँचा परियोजना की अनुमति मिल गई है।

पृष्ठभूमि

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) ग्रेट निकोबार में नीति आयोग द्वारा प्रवर्तित **72,000 करोड़ रुपये** की मेगा बुनियादी ढाँचा परियोजना का परियोजना प्रस्तावक है।
  - यह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का **सबसे दक्षिणी द्वीप** है।
- 910 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह द्वीप न केवल **जैव विविधता** का केंद्र है, बल्कि विशेष अधिकारों वाले **स्वदेशी समुदायों (जनजातियों)** का आवास-स्थल भी है और यह सर्वाधिक **विवर्तनिक** रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक में स्थित है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत **विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC)** ने पाया कि ANIIDCO में आंतरिक पर्यावरण प्रशासन प्रणाली का अभाव था।
  - इसके बावजूद, EAC ने 2022 में ANIIDCO को पर्यावरण मंजूरी दे दी।
  - इसके अतिरिक्त, परियोजना की देख-रेख के लिए आवश्यक मानव संसाधन भी उसके पास नहीं थे।

ग्रेट निकोबार परियोजना

- इस परियोजना में द्वीप पर एक **अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT**), एक **अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा**, **टाउनशिप विकास** और **450 MVA गैस और सौर-आधारित विद्युत् संयंत्र** का विकास शामिल है।
- ICTT से ग्रेट निकोबार को कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख अभिकर्त्ता बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति मिलने की अपेक्षा है।
- प्रस्तावित **"ग्रीनफील्ड शहर"** द्वीप की समुद्री और पर्यटन क्षमता दोनों का दोहन करेगा।
- प्रस्तावित ICTT और विद्युत् संयंत्र के लिए स्थल , ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने पर **गैलाथिया की खाड़ी** है, जहाँ कोई मानव निवास स्थल नहीं है।

ANIIDCO क्या है?

- ANIIDCO एक **अर्ध-सरकारी एजेंसी** है, जिसे 1988 में **कंपनी अधिनियम** के अंतर्गत शामिल किया गया था।

- इसका उद्देश्य क्षेत्र के संतुलित और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और व्यावसायिक दोहन करना है।
- इसकी मुख्य गतिविधियों में **पेट्रोलियम उत्पादों, भारत में निर्मित विदेशी शराब और दूध का व्यापार, पर्यटन रिसॉर्ट्स का प्रबंधन** और **पर्यटन एवं मत्स्य पालन** के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।

अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह

- **अवस्थिति:** ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से 1,300 किमी. दक्षिण पूर्व में स्थित हैं।
  - यह 6° 45′ उत्तरी अक्षांश से 13° 41′ उत्तरी अक्षांश तक तथा 92° 12′ पूर्वी देशांतर से 93° 57′ पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है।
- यह द्वीपसमूह 500 से अधिक बड़े और छोटे द्वीपों से निर्मित है, जो दो अलग-अलग द्वीप समूहों में विभाजित हैं - **अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह।**
  - **'दस डिग्री चैनल'** उत्तर में अंडमान द्वीप समूह को दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है।

अंडमान द्वीप समूह

- इन द्वीपों को **तीन** प्रमुख उप-समूहों में विभाजित किया गया है - उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी **पोर्ट ब्लेयर** दक्षिण अंडमान में स्थित है।

निकोबार द्वीप समूह

- इन द्वीपों को **तीन** प्रमुख उप-समूहों में विभाजित किया गया है – उत्तरी समूह, मध्य समूह और दक्षिणी समूह।
  - ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह दक्षिणी द्वीपसमूह में स्थित **सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप** है।
  - भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु **'इंदिरा प्वाइंट'** ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।

अन्य विशेषताएँ

- इनमें से अधिकांश द्वीपों का आधार ज्वालामुखी है तथा ये तृतीयक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल से निर्मित हैं।
  - पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित **बैरन और नार्कोंडम द्वीप** ज्वालामुखी द्वीप हैं।
  - कुछ द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं।
- उत्तरी अंडमान में **सैडल पीक (737 मीटर)** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी है।
- वर्ष 2018 में निम्नलिखित तीन द्वीपों के नाम बदले गए:
  - **रॉस द्वीप** - जिसका नाम बदलकर नेताजी **सुभाष चंद्र बोस द्वीप** कर दिया गया

- **नील द्वीप** - जिसका नाम बदलकर **शहीद द्वीप** कर दिया गया
- **हैवलॉक द्वीप** - जिसका नाम बदलकर **स्वराज द्वीप** कर दिया गया

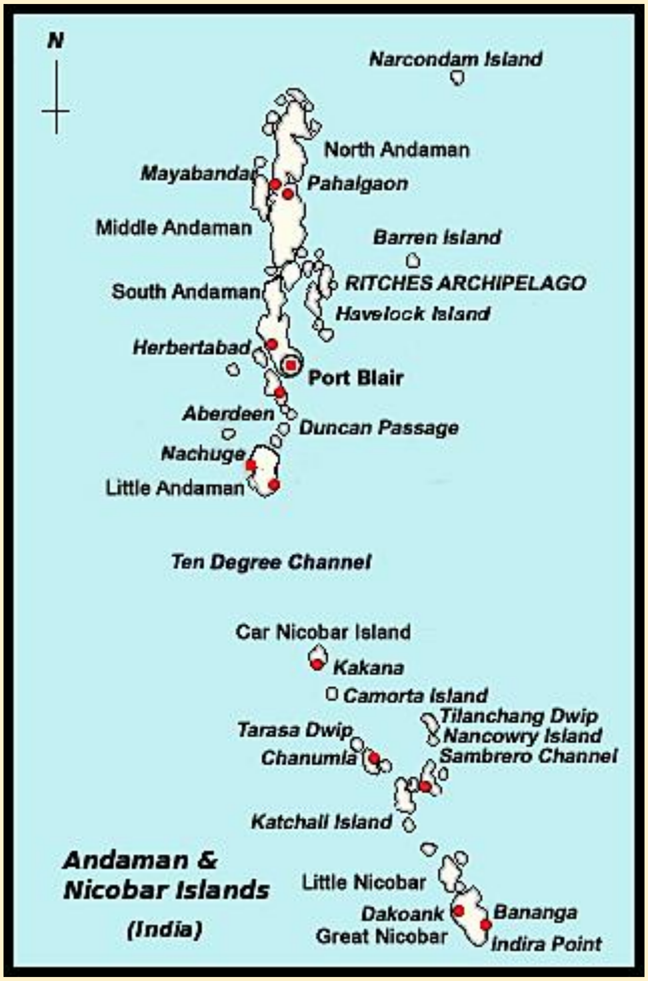

Source: [TH]

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय परीक्षण गृह

सुर्ख़ियों में

- भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए **मानक एवं लेबलिंग (S&L) कार्यक्रम** को मजबूत करने हेतु **राष्ट्रीय परीक्षण शाला (NTH)** और **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह

- इसकी स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी।
- यह भारत सरकार के **उपभोक्ता मामले विभाग** के तत्त्व ावधान में है।
- यह **जल जीवन मिशन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो परियोजनाओं** और अन्य सहित राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में शामिल एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है।
- यह भारत में **ड्रोन प्रमाणन** प्रदान करने वाली एकमात्र सरकारी एजेंसी भी है।
- **कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और वाराणसी** में इसकी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं।

क्या आप जानते हैं?

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना 2002 में की गई थी।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लिए काम करता है और ऊर्जा संरक्षण नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है।

Source: PIB

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)

सुर्ख़ियों में

- केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995** के अंतर्गत लगभग 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए **केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)** के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की ।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के संदर्भ में (CPPS)

- CPPS को EPFO's की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा।
    - अगले चरण में, CPPS आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेगा।

- CPPS का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत पेंशन संवितरण प्रणाली की स्थापना करके **EPFO का आधुनिकीकरण** करना है।
- यह पूरे भारत में किसी भी **बैंक की किसी भी शाखा** के माध्यम से पेंशन संवितरण की अनुमति देता है।
  - अब पेंशनभोगी किसी भी स्थान से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें स्थान या बैंक बदलते समय **पेंशन भुगतान आदेश (PPO)** स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **लाभ** :**78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों** को लाभ मिलने की उम्मीद है।
  - इससे पेंशन वितरण प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे यह अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाएगी।
  - पेंशनभोगियों को सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी; पेंशन जारी होने के तुरंत बाद ही जमा कर दी जाएगी।

Source: TH

केंद्र ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाए

संदर्भ

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सुझाए गए उपायों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कार्रवाई रिपोर्ट माँगी है।
  - यह कदम **कोलकाता में डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले** के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है।

सुझाए गए उपाय

- प्रत्येक जिले/क्षेत्र को ऐसे अस्पतालों की पहचान करनी चाहिए, जहाँ मरीजों की संख्या अधिक है और उन्हें सुरक्षा सुधार के लिए उच्च प्राथमिकता वाले प्रतिष्ठानों के रूप में माना जाना चाहिए।
- अस्पतालों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सुरक्षा उल्लंघनों की उच्च घटनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि **आपातकालीन कक्ष, ट्राइएज क्षेत्र** (गंभीर रोगियों से संबंधित स्थल) **और गहन देखभाल इकाइयाँ (ICUs)** एवं **लेबर कक्ष**।
- केंद्र सरकार ने सुधार के लिए समय पर **सुरक्षा लेखा परीक्षण**, **सीसीटीवी निगरानी**, **स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल** और उच्च जोखिम वाले अस्पताल क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों के रूप में **पूर्व सैनिकों को नियुक्त** करने का सुझाव दिया है।
- सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए गहन और भावनात्मक स्थितियों से निपटने के लिए **उचित प्रशिक्षण और वियोग प्रोटोकॉल (प्रियजन की मृत्यु से संबंधित प्रोटोकॉल)** की स्थापना की जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में निवासियों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक आंतरिक सुरक्षा समिति होनी चाहिए और घटना प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए।

- **रोगी सुविधाकर्ताओं, स्वयंसेवकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/समन्वयकों** की तैनाती की भी सिफारिश की जाती है।

Source: TH

त्रिपुरा के विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौता

संदर्भ

- **भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार** और **नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT)** तथा **ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF)** के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

परिचय

- समझौते के अंतर्गत **328 से अधिक सशस्त्र कैडर** हिंसक गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होंगे।
- केंद्र ने त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए 250 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।
- यह शांति समझौता पूर्वोत्तर के लिए **12वाँ** समझौता है और विगत दस वर्षों में त्रिपुरा से संबंधित **तीसरा** समझौता है।
  - इन समझौतों के माध्यम से लगभग 10,000 विद्रोही हिंसक गतिविधियों को छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

NLFT और ATTF

- NLFT एक प्रतिबंधित संगठन है, जो 1989 से सक्रिय है।
  - इसका गठन **विश्वमोहन देबबर्मा** के नेतृत्व में किया गया था, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा को भारत संघ से स्वतंत्र कराना तथा 1956 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले सभी विदेशियों को निर्वासित करना था।
- ATTF का गठन 1990 में इसी उद्देश्य से किया गया था और इसने 1956 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाने और 1949 में लागू हुए '**त्रिपुरा विलय समझौते**' को लागू करने की माँग की थी।

Source: TH

स्मार्ट सिटी मिशन

संदर्भ

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल परियोजनाओं में से **90% पूर्ण** हो चुकी हैं।

मिशन की स्थिति

- शेष 10% परियोजनाएँ जो कार्यान्वयन के चरण में हैं, विधिक मुद्दों, विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण चुनौतियों, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण और छोटे एवं मध्यम शहरों में विक्रेता और संसाधन उपलब्धता की चुनौतियों के कारण विलंबित हुई हैं।
- कुल 100 स्मार्ट शहरों में से 17 शहरों ने अपनी 100% परियोजनाएँ पूर्ण कर ली हैं।
- 75 स्मार्ट शहरों में 75% परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि 34 शहरों के द्वारा 90% से अधिक परियोजनाएँ पूर्ण कर ली गई हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन

- यह **केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय** की एक पहल है, जिसे **2015 में** प्रारंभ किया गया था। मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो मूलभूत बुनियादी ढाँचे, स्वच्छ और सतत पर्यावरण प्रदान करते हैं और **'स्मार्ट समाधानों'** के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करते हैं।
- पाँच वर्षों के लिए दो-चरणीय प्रतियोगिता के माध्यम से **100 शहरों** को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था।
- स्मार्ट सिटी की अवधारणा जिन **छह मूलभूत सिद्धांतों** पर आधारित है, वे हैं:

प्रमुख विशेषताएँ

- **SCM के दो मुख्य पहलू थे: क्षेत्र-आधारित विकास** जिसमें तीन घटक शामिल हैं - **पुनर्विकास** (शहर नवीनीकरण), **रेट्रोफिटिंग** (शहर सुधार), और **ग्रीन फील्ड परियोजनाएँ** (शहर विस्तार); तथा **ICT पर आधारित अखिल शहरी समाधान**।
- इनमें **छह श्रेणियाँ** शामिल हैं, जिनमें **ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास** शामिल हैं।
- **चार स्तंभ:** सामाजिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक अवसंरचना।
- **एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र:** इन ICCCs को अधिकारियों को वास्तविक समय में विभिन्न सुविधाओं की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - ICCCs एक स्मार्ट शहर के रूप में कार्य करता है और परिचालन प्रबंधन के लिए एक **"संचार केंद्र"** के रूप में कार्य करता है।
- डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिए SCM के अंतर्गत उठाए गए **अन्य कदम** हैं;

- अनुकूल यातायात नियंत्रण प्रणाली (ATCS), लाल बत्ती उल्लंघन पहचान (RLVD) और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (ANPR),
- ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा जल वितरण प्रबंधन के लिए डिजिटल संपत्ति,
- सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, स्मार्ट शिक्षा और स्मार्ट स्वास्थ्य प्रणाली।

Source: TH

ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए MNRE छूट

संदर्भ

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **निर्यातोन्मुखी हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं** को घरेलू निर्माताओं की सौर मॉड्यूल शॉर्टलिस्ट से छूट प्रदान की है।

परिचय

- **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) या निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOUs) में 2030 तक** स्थापित हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को MNRE's की अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची (ALMM) से छूट इस वर्ष प्रदान की गई थी।
  - ALMM अधिदेश के तहत सौर परियोजना डेवलपर्स को अनुमोदित सूची से मॉड्यूल खरीदने की आवश्यकता होती है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक **गैर-टैरिफ उपाय** के रूप में कार्य करता है।
- **महत्त्व:** इन छूटों का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना की त्वरित तैनाती को सुविधाजनक बनाना है, जो SEZ/EOU के अंदर हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन के लिए आवश्यक है।
  - आयातित मॉड्यूलों का उपयोग करने की क्षमता के साथ, जो घरेलू मॉड्यूलों की तुलना में सस्ते हैं, ऐसी परियोजनाएँ उत्पादन लागत को अत्यधिक कम कर सकती हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

- ग्रीन हाइड्रोजन से तात्पर्य उस हाइड्रोजन से है जो **विद्युत अपघटन** नामक प्रक्रिया के माध्यम से **पवन, सौर या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग** करके उत्पादित किया जाता है।
  - विद्युत अपघटन प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके जल (H2O) को **हाइड्रोजन (H_2)** और **ऑक्सीजन (O_2)** में विभाजित किया जाता है।
  - जब यह विद्युत् नवीकरणीय स्रोतों से प्रदान की जाती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन को **"हरित"** माना जाता है क्योंकि समग्र प्रक्रिया का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।
- **लाभ :**यह एक स्वच्छ दहनशील तत्त्व है, जो लोहा और इस्पात, रसायन तथा परिवहन सहित अनेक क्षेत्रों को कार्बन मुक्त कर सकता है।
  - हाइड्रोजन को लम्बे समय तक भंडारित किया जा सकता है, जिसका उपयोग **फ्यूल सेल** का प्रयोग करके विद्युत् उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

Source: IE

OpenAI का प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी

संदर्भ

- OpenAI कथित तौर पर अपने सबसे शक्तिशाली AI मॉडल (कोडनाम: **प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी**) को प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है, और इसे **ChatGPT-5** में एकीकृत कर सकता है।

परिचय

- पहले इसे **प्रोजेक्ट क्यू* (Q-star**) के नाम से जाना जाता था, इसे OpenAI द्वारा मानव मस्तिष्क के समान क्षमताओं के साथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने के लिए प्रेरित किया गया है।
- यह **गणित की समस्याओं को हल करने** में सक्षम होगा, भले ही इसे कभी प्रशिक्षित न किया गया हो, **बाजार की रणनीति** तैयार करने और **जटिल शब्द पहेलियों** को हल करने जैसे उच्च-स्तरीय कार्य करने और **"गहन शोध"** करने में सक्षम होगा।
- यह AI फर्म को ओरियन नामक अपने अगले **उन्नत भाषा मॉडल (LLM)** को विकसित करने में भी मदद करेगा।

Source: IE